ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-6* Issue-3* April- 2021
Innovation The Research Concept

औद्योगिक विकास में सरकारी योजनाओं एवं रियायतों के योगदान का अध्ययन (इन्दौर जिले के संदर्भ में)

Study of contribution of government schemes and concessions in industrial development (With reference to Indore District)

Paper Submission: 05/04/2021, Date of Acceptance: 23/04/2021, Date of Publication: 25/04/2021

सपना सोनी
प्राध्यापक,
वाणिज्य विभाग,
शहीद भीमा नायक शासकीय
स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
बड़वानी म.प्र. भारत

मुकेश सस्त्या
सहायक प्राध्यापक,
वाणिज्य विभाग,
शासकीय महाविद्यालय
भैंसदेही, बैतूल म.प्र. भारत

आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में किसी भी व्यवसाय एवं उद्योग की स्थापना, संचालन एवं विकास के लिये वित्त आवश्यक होता है, जो कि समस्त व्यावसायिक एवं औद्योगिक क्रियाओं का मूल आधार है। वित्त के माध्यम से औद्योगिक विकास प्रारम्भ होता है तथा विनियोग के नये अवसर उत्पन्न होते है। विकासशील देशों में साहसियों को वित्त उपलब्ध कराने हेतु सरकार विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से देश के भौतिक एवं मानवीय संसाधनों को गतिशील बनाती है तथा औद्योगिक प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करती है। अतः इन संस्थाओं के महत्व को देखते हुए सरकार द्वारा समय–समय पर विभिन्न विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की गई है। इन वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपनी एवं सरकार की विभिन्न योजनाओं द्वारा नव उद्यमियों व साहसियों को अपना उद्यम स्थापित करने या विकास करने के लिए आकर्षित किया जाता है। इन वित्तीय संस्थाओं में ICICI Bank, IDBI Bank, IFCI AXIS Bank, HDFC Bank मुख्य है। शोध पत्र में प्रस्तावना, उद्देश्यों, परिकल्पनाओं, वित्तीय संस्थाओं द्वारा उपलब्ध ऋण सुविधाओं तथा संचालित विभिन्न योजनाओं, समस्याओं एवं सुझावों को प्रस्तुत किया गया है।

In today's competitive era, finance is necessary for the establishment, operation and development of any business and industry, which is the basic foundation of all commercial and industrial activities. Industrial development begins through finance and new opportunities of appropriation arise. In order to provide finance to the partners in developing countries, the government through various financial institutions makes the physical and human resources of the country dynamic and encourages industrial processes. Therefore, in view of the importance of these institutions, various specialized financial institutions have been established by the government from time to time. These financial institutions attract new entrepreneurs and associates to establish or develop their own enterprises through various schemes of their own and government. Among these financial institutions, the ICICI Bank, IDBI Bank, IFCI AXIS Bank, HDFC Bank are the main ones. The research paper presents the preamble, objectives, hypothesis, credit facilities available by financial institutions and various schemes, problems and suggestions operated.

मुख्य शब्द : *औद्योगिक विकास, वित्तीय संस्थाएँ, उद्यमी, परियोजना वित्त, प्रौद्योगिकी उन्नयन, लालफीताशाही।*

Industrial Development, Financial Institutions, Enterpreneur, Project Finance, Technology Upgradation, Red tapism.

प्रस्तावना

''औद्योगीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वे समस्त परिवर्तन सम्मिलित होते हैं जो किसी उपक्रम के मशीनीकरण, किसी नवीन उद्योग की स्थापना, किसी नए बाजार में प्रवेश तथा किसी नए प्रदेश के विदोहन के फलस्वरूप घटित होते है। यह एक प्रकार से यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूँजी को गहनता ही नही प्रदान करती बल्कि उसे व्यापकता भी प्रदान करती है।''

–''पी. कांग. चांग''

वर्तमान समय में औद्योगीकरण ही आर्थिक विकास का मूल आधार है। औद्योगीकरण द्वारा ही किसी भी देश में उपलब्ध साधनों का समुचित उपयोग किया जा सकता है। औद्योगीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी देश की आर्थिक व्यवस्था में यन्त्रीकरण के द्वारा ऐसे आधारभूत परिवर्तन किए जाते है जिनके द्वारा देश के प्राकृतिक साधनों का अधिकतम उपभोग किया जा सके।

प्राचीनकाल से ही भारत के उद्योगों का देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान रहा है परंतु उनका संचालन घरेलू एवं कुटीर उद्योगों के रूप में किया जाता था और उत्पादन प्रक्रिया भी साधारण एवं परंपरागत थी। उनमें उत्पादन कार्य हाथों से या सामान्य उपकरणों के द्वारा किया जाता था तथा पूँजी की भी बहुत कम आवश्यकता होती थी, जो स्वयं व्यापारी या निर्माणकर्ता द्वारा स्वयं या अपने परिजनों या मित्रों या साहूकारों के माध्यम से व्यवस्था कर लेता था, परंतु आधुनिक काल में यह प्रक्रिया अत्यंत जटिल एवं महंगी है। आधुनिक प्रक्रिया अत्यंत जटिल एवं महंगी होने के कारण इनमे अधिक मात्रा में पूँजी निवेश की आवश्यकता होती है। अतः व्यापारी या निर्माणकर्ता या उद्यमी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंकों या वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण के रूप में पूँजी की व्यवस्था करता है। नई औद्योगिक नीति की घोषणा के पश्चात म. प्र. सरकार द्वारा भी प्रदेश में उद्योगों की स्थापना में उदारता की नीति अपनाई गई है। म. प्र. सरकार द्वारा घोषित नई औद्योगिक नीति (सन् 1991)में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास पर विशेष बल दिया गया है।

एक उद्यमी अथवा व्यवसायकर्ता अपने व्यक्तिगत, साझेदारी संस्था या कम्पनी के रूप में एक औद्योगिक इकाई की स्थापना करते है। वे इस औद्योगिक इकाई की स्थापना, विस्तार, आधुनिकीकरण एवं तकनीकी विकास के लिए वित्त की आवश्यकता की पूर्ति स्वयं, परिजनों, सार्वजनिक तथा निजी बैंकों, निजी वित्तीय संस्थाओं एवं अनेक वित्तीय तथा विकास निगमों के माध्यम से करते है। इन्दौर जिले में वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत निजी बैंक, निजी कम्पनियां, सहकारी समितियां जैसे HDFC Bank Ltd, ICICI Bank Ltd, IDBI Bank, SIDBI Bank, MPFC, NABARD Bank, EXIM Bank, IndusInd Bank Ltd, Kotak Mahindra Bank Ltd, Axis Bank Ltd, Karur Vysya Bank, The Cosmos Cooperative Bank Ltd, Citicorp Finance (I) Ltd, Tata Capital Financial Services Ltd, आदि मुख्य है।

राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक विकास के लिए अनेक सरकारी एवं निजी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की गई है, जो उद्यमियों, व्यवसायकर्ताओं एवं विभिन्न कंपनियों को अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन वित्त की पूर्ति करती है और साथ ही कुछ विशेष योजनाओं एवं छूट द्वारा उद्यमियों की सहायता कर प्रोत्साहित करती है। इसलिए यह आवश्यक है कि इन वित्तीय संस्थाओं द्वारा उपलब्ध ऋण सुविधाओं तथा संचालित विभिन्न योजनाओं से औद्योगिक विकास, कार्यप्रणाली एवं भूमिका का अध्ययन, औद्योगिक वित्त की आवश्यकता, समस्याओं, सुझाव तथा सम्भावनाओं आदि तत्वों का अध्ययन किया जाये, जिससे इंदौर जिले के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिल सके और औद्योगिक विकास पर आधारित अन्य क्षेत्रों में भी सुव्यवस्थित विकास किया जा सके।

शोध अध्ययन के आवश्यकता

1. इन्दौर जिले के औद्योगिक विकास हेतु सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं रियायतों का विश्लेषण करना।
2. उद्यमियों और उद्यम स्थापित करने के इच्छुक व्यक्तियों में सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता का विश्लेषण करना।

शोध अध्ययन की परिकल्पनाएँ

1. उद्यमियों को सरकारी योजनाओं का लाभ सही समय पर प्राप्त होता है।
2. अधिकांश उद्यमियों को औद्योगिक विकास हेतु सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं रियायतों का ज्ञान होता है।

औद्योगिक विकास हेतु वित्तीय संस्थाओं एवं सरकार द्वारा प्रदत्त प्रोत्साहन योजनाएँ एवं रियायतें

देश की अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार एवं विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा निम्नलिखित योजनायें संचालित की जा रही है :–

ICICI SI ऋण योजना

इस योजना के अन्तर्गत ऐसे उद्योग जिनका विनियोग प्लान्ट एवं मशीनरी में 25 लाख रूपये से अधिक परन्तु 5 करोड़ रूपये से कम हो, जो लघु एवं सहायक उद्योग की श्रेणी में आते हैं।

ICICI जनरल कार्पोरेट ऋण योजना

यह योजना बैंक की गोल्ड कार्पोरेट ऋण योजना के पश्चात् सबसे अधिक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अन्तर्गत बैंक द्वारा बड़े आकार के ऐसे उद्योगों को ऋण प्रदान किया जाता है जो सेवा कार्य के क्षेत्र में स्थापित हो, जिनका आवश्यकता उपभोक्ता सेवा कर नाममात्र का लाभार्जन प्राप्त करना होता है।

ICICI सुपर एम. ई. ऋण योजना

इस योजना के अन्तर्गत मध्यम आकार के उद्योग जिनका संयंत्र, मशीनरी में शुद्ध निवेश 2 करोड़ रूपये से अधिक हो, परन्तु 5 करोड़ रूपये से अधिक नही हो। इस योजना का लाभ छोटे सड़क परिवहन, जल परिवहन एवं सड़क निर्माण उद्योग भी प्राप्त कर सकते हैं।

ICICI कोम्बों इंडस्ट्रीयल ऋण योजना

इस योजना के अन्तर्गत उद्यमियों को नवीन इकाई स्थापित करने हेतु ऋण प्रदान किया जाता है बशर्ते वो नवीन इकाई की स्थापना निर्माण के क्षेत्र में करना चाहता हो या स्थापित नवीन इकाई या आवश्यकता नवीन उत्पाद का निर्माण करना या उत्पाद अनुसंधान करना हो।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की परियोजना वित्त

परियोजना वित्त योजना के अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक परियोजनाओं के लिए उद्योगों को

वित्त प्रदान करता है। बैंक नई परियोजनाओं के लिये और मौजूदा परियोजनाओं के विस्तार, विशाखन एवं आधुनिकीकरण के लिये रूपया और विदेशीं मुद्रा दोनों प्रकार का परियोजना वित्त प्रदान करता है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की बुनियादी क्षेत्र का विकास योजना

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, दूरसंचार, सड़क, समुद्री बंदरगाह, रेल्वे और व्यवस्था तंत्र तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र वाली बुनियादी परियोजनाओं की संरचना और वित्त पोषण में सक्रिय रूप से सहभागिता करता रहा है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की कार्यशील पूंजी योजना

कार्यशील पूंजी योजना के अन्तर्गत उद्योग को दैनिक उत्पादन और बिक्री के लिये वित्त प्रदान किया जाता है। सामान्यतः निधियां कच्चे माल की खरीद, स्टोर, ईंधन, श्रमिकों को भुगतान, बिजली खर्च, निर्मित माल का बिक्री होने तक संग्रहण के लिए प्रदान की जाती है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना

भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने 01 अप्रैल 1999 को वस्त्र एवं जूट उद्योग के लिए प्रौद्यागिकी उन्नयन निधि योजना 05 वर्ष के लिए प्रारंभ की थी, बाद में इसे बढ़ाकर वर्ष 2011–12 तक की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत नवीनतम प्रौद्योगिकी अपनाने में सहायता प्रदान की जाती है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक वस्त्र उद्योग (गैर लघु क्षेत्र) के लिए नोडल एजेसी है। परियोजना का सामान्यतः परियोजना वित्त मानदण्डों के अनुसार मूल्यांकन किया जाता है तथा पात्र परियोजनाओं को सहायता कि लिए 5 प्रतिशत् वार्षिक ब्याज की प्रतिपूर्ति करता है।

मध्यप्रदेश वित्त निगम की उपकरण पुनर्वित्त योजना

यह योजना लघु उद्योग क्षेत्र में स्वदेशी तथा आयातीत दोनों प्रकार की मशीनों (विशिष्ट मशीनों के अतिरिक्त) के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। इसके अतिरिक्त यदि इकाई में अन्य सिविल कार्य, अन्य अचल सम्पत्तियों तथा कार्यशील पूंजी के लिए अतिरिक्त मार्जिन राशि भी आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराई जाती है, परन्तु इस योजना की पात्रता केवल लघु उद्योग क्षेत्र में विगत चार वर्षों से स्थापित तथा दो वर्षों से लाभांश की घोषणा करने वाली इकाइयों को ही है।

मध्यप्रदेश वित्त निगम की इलेक्ट्रो मेडिकल उपकरण

इस योजना के अन्तर्गत निजी प्रेक्टिस करने वाले डॉक्टर जो एम.बी.बी.एस. या बी.डी.एस. या फिजिओथेरेपिस्ट अथवा समान योग्यताधारी हैं, उन्हें चिकित्सीय उपकरण क्रय करने हेतु वित्तीय सहायता निगम द्वारा ऋण के रूप में प्रदान की जाती है जिसका पुनर्भुगतान अधिकतम 6 माह में करना होता है। ऋण की अधिकतम राशि 10 लाख रूपये तक है।

मध्यप्रदेश वित्त निगम की अस्पताल एवं नर्सिंग होम योजना

इस योजना के अन्तर्गत निगम भूमि एवं भवन, उपकरण एयर कंडीशनर्स, आई.सी.यू., कार्यालयीन उपकरण, रसोई घर सुविधा, एम्बुलेंस आदि कार्यों के लिए ऋण प्रदान करना है। एक स्नातकोत्तर डॉक्टर को जो एक एम.डी./एम.एस. है, को कम से कम 10 बिस्तर वाले अस्पताल/नर्सिंग होम की स्थापना या विस्तार, आधुनिकीकरण ऐसे विद्यमान अस्पताल/नर्सिंग होम जिनका आवश्यकता रियायती दरों पर कम आय वर्ग के रोगियों की चिकित्सा करना है, को निगम सावधि ऋण प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश वित्त निगम की डीजल जनरेट सेट्स के लिए शीघ्र वित्त योजना

औद्योगिक इकाइयों को वर्तमान में विद्युत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के निराकरण के लिए जो इकाईयाँ डी.जी. सेट्स लगाना चाहती है, उन्हें ऋण प्रदान करता है। डी.जी. सेट के बीजक मूल्य के 90 प्रतिशत् तक ऋण नए सेट्स के लिए तथा पुराने सेट्स के लिए 60 प्रतिशत् ऋण निगम द्वारा प्रदान किया जाता है, किन्तु ऋण की अधिकतम सीमा 50 लाख रूपए हैं तथा ऋण राशि का भुगतान 5 वर्षों में करना होता है।

मध्यप्रदेश वित्त निगम की समता भागिता योजना

इस योजना के अन्तर्गत यदि कोई लिमिटेड कम्पनी अपने अंशों का जनता में निर्गमन करती है तो समता पूँजी में निगम अंश भागिता में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। चाहे ये अंश प्रवर्तन कोटे से हो या संस्था के द्वारा आवंटित किये हो । निगम अंश पूँजी में अधिकतम 50 लाख रूपए का विनियोग कर सकता है, किन्तु यह राशि संस्था की प्रदत्त पूँजी के 10 प्रतिशत् से अधिक नही हो सकती है।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एन एस आई सी) की सब्सिडी योजनाएं कच्चे माल सम्बन्धी सहायता योजना

कच्चा माल सहायता योजना का आवश्यकता कच्चे माल (घरेलू और विदेशी दोनों) की खरीद के वित्त पोषण के जरीए लघु उद्योगों/उपक्रमों की मदद करना है। इससे लघु उद्योगों को यह मौका मिलता है कि वे गुणवत्ता उत्पादों के विनिर्माण पर ध्यान केन्द्रित कर सके।

वस्त्र उद्योग : प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना

वस्त्र मंत्रालय ने अप्रैल 1999 में वस्त्र और जूट उद्योग हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना प्रारम्भ की, ताकि वस्त्र इकाईयों में नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रवेश सुगमतापूर्वक हो सके।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग : खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों हेतु प्रोद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण योजना

यह योजना निम्नलिखित गतिविधियों को कवर करती है : खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना, विस्तार, आधुनिकीकरण। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में उसके सभी खण्ड – फल तथा सब्जियाँ, दूध उत्पाद, माँस, मुर्गीपालन, मछलीपालन, तिलहन तथा ऐसे अन्य कृषि – बागवानी क्षेत्र जो मूल्यवर्द्धन करते है।

ऋण ग्यारण्टी निधि योजना

जब अत्यंत लघु एवं लघु उद्यम को, विशेष रूप से प्रथम पीढ़ी के उद्यमी ऋणों के लिए सम्पार्श्विक प्रतिभूति देने में असमर्थ होते है, इस कारण बैंक से ऋण प्राप्त करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2000 में लघु उद्योगों के लिए ऋण ग्यारण्टी निधि योजना शुरू की, ताकि सम्पार्श्विक प्रतिभूति की समस्या और लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण उपलब्ध होने में आने वाली बाधाओं का निदान किया जा सके।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना

भारत सरकार द्वारा निम्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लागू किया गया है – रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, बेरोजगार कारीगर युवक/ युवतियों को संगठित करना और व्यवसाय में मदद करना, पलायन रोकना, विकास दर में वृद्धि करना। साथ ही शहरी क्षेत्रों में व्यवसाय हेतु सामान्य वर्ग के युवाओं को 15 प्रतिशत् व ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को 25 प्रतिशत् अनुदान दिये जाने का प्रावधान है तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनताति, अल्पसंख्यक, महिला, पूर्व शासकीय कर्मचारी तथा दिव्यांग आदि को शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत् व ग्रामीण क्षेत्र में 55 प्रतिशत् अनुदान दिय जाने का प्रावधान है।

समस्याएँ

इस आधुनिक प्रतिस्पर्धी युग में प्रत्येक औद्योगिक इकाई एवं वित्तीय संस्थाओं को ऋण प्राप्त करने के साथ – साथ सरकारी सहायता जैसे अनुदान और छूट प्राप्त करने में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

उचित समय पर छूट प्राप्त न होना

सामान्यतः सभी वित्तीय संस्थाओं में कम से कम समय में छूट या अनुदान प्रदान करने का प्रावधान होता है, परन्तु अनावश्यक अधिक समय लगाया है जो अनावश्यक खानापूर्ति या कोई आपत्ति या रिश्वत के कारण होता है।

जटील प्रक्रिया

कुछ उद्यमी इन योजनाओं के माध्यम से छूट प्राप्त करने में होने वाली जटील प्रक्रिया के कारण वित्तीय अनुदान प्राप्त करने में कठिनाईयाँ महसूस करते है।

लालफीताशाही का प्रभाव होना

कभी –कभी उद्यमियों को लालफीताशाही के कारण उचित समय पर छूट या सहायता राशि मिलने में इतना अधिक समय लग जाता है कि परियोजना की अनुमानित लागत में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार उद्यमी बैंकों या वित्तीय संस्थाओं के चक्कर काट –काटकर परेशान हो जाता है और अंततः वह निराश होकर छूट या सहायता राशि प्राप्त करने का विचार त्याग देता है।

प्रोत्साहन योजनाओं एवं रियायतों की अज्ञानता

सर्वेक्षण के दौरान यह ज्ञात हुआ कि लगभग 27 प्रतिशत उद्यमियों को इन सरकारी योजनाओं एवं वित्तीय संस्थाओं की प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी नही थी और लगभग 18 प्रतिशत उद्यमियों ने अनावश्यक कागजी कार्यवाही से बचने के लिए इनका लाभ प्राप्त नही किया।

सुझाव

आज औद्योगिक विकास किसी भी देश के आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण साधन है तथा इसी औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार एवं निजी संस्थाओं द्वारा कई वर्षों से प्रयास किए जा रहे है।

1. सामान्यतः सरकारी सुविधाओं एवं योजनाओं की जानकारी का प्रचार –प्रसार सरकारी और गैर –सरकारी स्तर पर और भी किए जाने की आवश्यकता है।
2. बैंक या वित्तीय संस्था के अधिकारियों को ऋण लेने वाले उद्यमी या संस्थाओं को उन योजनाओं के द्वारा लाभ देना चाहिए जिसमें उद्यमियों का फायदा हो।
3. उद्यमियों को अपने उद्यम या व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त योजना का चयन किया जाना चाहिए जिसमें उसे सबसे अधिक फायदा हो।
4. ऋण सुविधाओं एवं योजनाओं का प्रचार – प्रसार सरल भाषा एवं साधारण व्यक्ति या उद्यमी को समझ में आने वाला होना चाहिए।
5. किसी भी ऋण योजना के अंतर्गत छूट या सहायता राशि की स्वीकृति की प्रक्रिया शीघ्रातिशीघ्र पूरी की जाना चाहिए। छूट या सहायता राशि की अवधि एवं वितरण से संबंधित निश्चित मापदण्ड निर्धारित किए जाना चाहिए ताकि कोई भी अधिकारी द्वारा अनावश्यक विलम्ब नही किया जा सके।
6. उद्यमियों को प्रायः अनुदान की राशि समय पर प्राप्त नही हो पाती है। इन वित्तीय संस्थाओं को आपस में तथा केन्द्रिय सरकार के उद्योग विभाग के बीच समन्यव स्थापित करना चाहिए, जिससे समय पर अनुदान राशि प्राप्त हो जाए।

निष्कर्ष

देश की सभी औद्योगिक इकाईयों द्वारा देश के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। इन्दौर जिले में भी यहाँ की सभी इकाईयों द्वारा जिले के औद्यागिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है और उनको वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्त सहायता, छूट एवं अनुदान राशि प्रदान की गई है। यद्यपि इन्हें कुछ समस्याओं अथवा चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। यदि उपर्युक्त वर्णित सुझावों को पालन किया जाए तो उद्यमियों को सरकारी योजनाओं का लाभ एवं सहायता राशि प्राप्ति में जो कठिनाई होती है, उन्हें दूर किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *डॉ. अमरचंद जैन, औद्योगिक विकास एवं जिला उद्योग केन्द्र*
2. *डॉ. सुदामा सिंह, सार्वजनिक वित्त, क्लासीकल पब्लिशिंग कम्पनी, कोलकाता*
3. *डॉ. एस. सी. सक्सेना, भारत में उद्योगों का संगठन, वित्त व्यवस्था एवं संगठन, नेशनल पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली*
4. *प्रो. एम डी अग्रवाल, वित्तीय प्रबंध : सिद्धान्त, व्यवहार व नियंत्रण, रमेश बुक डिपो, जयपुर*
5. *डॉ. कुलश्रेष्ठ, निगमों का वित्तीय प्रबंध, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा*
6. *''इन्दौर जिले में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान द्वारा उद्यमिता कार्यक्रमों का विश्लेषणात्मक अध्ययन'' – कु. मोनिका माहेश्वरी*
7. *''इन्दौर जिले की औद्योगिक प्रगति में संस्थागत वित्त की भूमिका'' – प्रवीण शर्मा*

8. *'सार्वजनिक बैक एवं निजी बैंक की औद्योगिक ऋण प्रवृत्तियों का तुलनात्मक अध्ययन'' इन्दौर जिले के विशेष संदर्भ में – दीपक तरेटिया*
9. *'भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा निर्माणी उद्योगों की उत्पादकता वृद्धि में वित्तीय योगदान का मूल्यांकन'' – श्रीमती सपना शर्मा*
10. *N. R. Jalaja, "Industrial growth in Madhya Pradesh: Structure and Economic Backwardness"*
11. *Supriya Bandi "A study of problems and prospects of Small Scale Industries in Madhya Pradesh" (with special reference to Indore 2005 to 2010)*

मासिक पत्रिका

1. *योजना मार्च 2011*
2. *बैंकिंग चिंतन –अनुचिंतन (एमएसएमई विशेषांक) अक्टूबर – दिसंबर 2011*
3. *www.mpindustry.org*
4. *www.mpakvnbhopal.nic.in*
5. *www.dcmsme.gov.in*